न्यायालय उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रार्थना–पत्र सं0 : 62 सन 2025
अनवान :–

1. विनोद कुमार पुत्र विजयपाल उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

–अप्रार्थीगण

2. ओमप्रकाश पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
3. कलावती पत्नी विजयपाल उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
4. तिलोकचन्द पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
5. बलवीर पुत्र विजयपाल उर्फ बृजलाल जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
6. शिशपाल पुत्र माईधन जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।
7. सन्तो पत्नी माईधन जाति जाट निवासी गंगोई तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

–तरतीबी अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र धारा 128 व 131 भू0 राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता प्रार्थीया
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 29/05/26

संक्षेप रूप में तथ्य इस प्रकार है कि सायल ने जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 व 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस आशय का पेश किया है की रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 5/78 के खसरा नं. 116, 135/115, 136/116 कुल खसरे 3 की कुल 13.6070 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायल के पड़ोसी काश्तकारों ने सायल की खातेदारी कृषि भूमि की सींव डोल तोड़कर सायल की भूमि में नाजायज रूप से काश्त करते चले आ रहे है तथा नाजायज रूप से काबिज होने की फिराक में है। सायल ने रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 5/78 के खसरा नं. 116, 135/115, 136/116 कुल खसरे 3 की कुल 13.6070 है० भूमि की पैमाईश करवाकर पुख्ता सीमा चिन्ह (पत्थर गढ़ी कायम) करवाना चाहता है।

श्रीमान् तहसीलदार नोहर तहसील नोहर के आदेश क्रमांक 2025/29233/1 दिनांक 06.06.2025 की अनुपालना में राजस्व पटवारी पटवार मण्डल गंगोई तहसील नोहर ने रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के खसरा नं. 116, 135/115, 136/116 की भूमि मे सीमा ज्ञान करवाने के लिए मुस्तकिल बिन्दुओं से जरीब चलाकर उपस्थित काश्तकारों के समक्ष सीमांकन करवाया गया उपस्थित काश्तकारों को फर्द मौका पढ़कर सुनाया व उनके हस्ताक्षर /अंगूठा दर्ज करवाये गये।

प्रार्थी ने अप्रार्थी स0 1 को काफी मर्तबा कहा की वो प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि की पटवारी हल्का द्वारा दिये गये निशान के अनुसार पत्थरगढ़ी करवा देवे जिस पर अप्रार्थी स0 1 कुछ दिन तो आजकल करते रहे किन्तु अंत में इन्कार हो गये इसलिए यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है।

Rahul.
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी स0 1 की ओर से पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया।

अप्रार्थी स0 1 का जवाब पेश होने पर प्रार्थी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र पेश किया जो की शामिल मिसल किया जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की प्रार्थी की उक्त भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज है की पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। पत्थरगढ़ी करने के आदेश फरमावे।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए प्रार्थना पत्र का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 5/78 के खसरा नं. 116, 135/115, 136/116 कुल खसरे 3 की कुल 13.6070 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

सायलान/प्रार्थीगण का कथन है कि प्रार्थीगण द्वारा अपनी भूमि की पैमाईश करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया गया था प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र पर उसकी खातेदारी भूमि की नियमानुसार पैमाईश की जाकर फर्द मौका तैयार किया गया जाकर मौतबिरान के समक्ष पढ़ा जाकर बनाया गया था सायलान उसी के अनुसार अपनी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है सायलान का कथन सही प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थीगण द्वारा की गई पैमाईश की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है जिससे सायलान के कथनों की पुष्टि होती है।

कोई भी खातेदार काश्तकार अपनी खातेदारी भूमि की पैमाईश करवाने के उपरान्त अपने हक हक हिस्सा की खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी है उपरोक्त विवेचनानुसार सायलान का प्रार्थना पत्र भूमि पैमाईश उपरान्त पत्थरगढ़ी का पाया जाता है।

अतः सायलान का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नोहर को निर्देशित किया जाता है कि प्राथी की भूमि रोही मौजा गंगोई तहसील नोहर के जमाबंदी सम्वत 2073–2076 के खाता संख्या 5/78 के खसरा नं. 116, 135/115, 136/116 कुल खसरे 3 की कुल 13.6070 है० भूमि सायल व तरतीवी गैरसायलान के मुश्तरका खाता की दर्ज राजस्व रिकार्ड है उक्त भूमि की नियमानुसार सभी पक्षकारान/प्रार्थी की भूमि की चिपते पड़ौसी काश्तकारों की उपस्थित में पैमाईश टीम गठित की जाकर पैमाईश करवाई जाना सुनिश्चित करे पैमाईश उपरान्त नियमानुसार पत्थरगढ़ी करवाने की कार्यवाही की जानी सुनिश्चित करे एवं निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्यवाही राज्य सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित पैमाईश समय पर किया जाना सुनिश्चित करे। इसी आशय का आदेश तहसीलदार नोहर को भिजवाया जावे। व्यय प्रार्थना पत्र उभयपक्ष अपना अपना वहन करेंगे पत्रावली नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29/5/26 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरेईजलास सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर